

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक २४ अगस्त, 2020

क्रमांक ५१०/2020/32-3


प्रति,

- 1/ कार्यपालन संचालक,
एफको,
- 2/ अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल
- 3/ सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषय: माननीय मंत्रीजी द्वारा दिनांक 13-14/8/2020 को ली गई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण ।

माननीय मंत्रीजी द्वारा दिनांक 13-14/8/2020 को ली गई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न: यथोपरि ।


(राकेश कुशारे) 28/8/2020
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक २४ अगस्त, 2020

क्रमांक ५११/2020/32-3

प्रतिलिपि:

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग ;
- 2/ निज सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

*Pl puty
sachiv*

As

CE-II

दिनांक 13/08/2020 को माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा की गई विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण ।

माननीय मंत्रीजी पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 13/08/2020 को अपराह्न 12.00 बजे मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 216 में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुये :-

1. श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग ।
2. श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
3. श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल, कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) भोपाल ।
4. श्री राकेश कुशरे, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, भोपाल ।

समीक्षा बैठक दौरान माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) को निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

- 1) ग्राम पंचायत तथा गांवों में प्रदूषण नियंत्रण तथा स्वच्छता अभियान संबंधी योजनाएँ बनाई जायें । जिसके अन्तर्गत गांवों के ट्यूबवेल के आसपास व्याप्त कूड़े-कचरे एवं गंदे पानी के कारण भूमिगत जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु, गांवों में सड़कों के किनारे ड्रेनेज हेतु नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे गंदे पानी का जमाव होता है, इस हेतु उपयुक्त ड्रेनेज व्यवस्था स्थापना हेतु है । योजनाओं पर क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग से माननीय मंत्री, पर्यावरण बैठक आहूत कर चर्चा करेंगे ।

(कार्यवाही- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) भोपाल)

- 2) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑन लाईन लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति एक्स.जी.एन.पोर्टल पर ऑन लाईन "डैशबोर्ड" लिंक पर साप्ताहिक/ अर्धमासिक/मासिक अनुसार उपलब्ध है । साथ ही बोर्ड द्वारा जारी अनुमतियों एक्स.जी.एन.पोर्टल पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है । माननीय मंत्रीजी द्वारा नियमानुसार प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही- म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

- 3) शिवना नदी मंदसौर के पर्यावरणीय संरक्षण हेतु योजना बनाने एवं बजट उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

(कार्यवाही- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) भोपाल)


नक्षत्र

दिनांक 14/08/2020 को माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो काफ़ेसिंग द्वारा की गई विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण ।

माननीय मंत्रीजी पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 14/08/2020 को अपराह्न 04.30 बजे मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 216 से वीडियो काफ़ेसिंग द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल तथा श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, भोपाल उपस्थित हुये।

समीक्षा बैठक दौरान माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

- 1) बोर्ड द्वारा वृक्षारोपण की कार्यवाही इकाइयों के सहयोग से पर्यावरण दिवस के दौरान की जाती है । वर्ष में अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावे ।
- 2) बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत शहरों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जा रही है । इसमें गांवों को किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है, इस संबंध में कार्यवाही करें ।
- 3) इस हेतु क्षेत्रीय अधिकारी गांवों का निरीक्षण कर दूषित जल के उचित निस्सारण एवं उपचार हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे ।
- 4) यह जाँच की जाये कि बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी के मोबाइल का उपयोग एक्स.जी.एन. पर उद्योग की जानकारी में न किया जावे ।
- 5) प्रदूषणकारी इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावे ।
- 6) जिन अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जावे उन्हें इस हेतु सम्मानित किया जाये ।
- 7) बोर्ड की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाये, जिससे जन सामान्य को अनुमतियाँ प्राप्त करने में कठिनाई ना हो ।

28/8/20



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: {0755} 2463742

कमांक 845 सा0प्र0328/प्रनिबो/2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 JUN 2021

1. श्री पी. के. त्रिवेदी,
डायरेक्टर पर्यावरण,
2. श्री व्ही. के. अहिरवार,
डायरेक्टर पर्यावरण,
3. श्री एम. के. मंडराई
अधीक्षण यंत्री,
4. श्री जी. अम्बुलकर,
मुख्य रसायनज्ञ,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म0प्र)।

विषय:- माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को संपन्न
विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग का पत्र कमांक 482/2021/32-3
भोपाल, दिनांक 24/06/2021

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की
अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। कृपया
कार्यवाही विवरण के आपसे संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

श्रीवास्तव

(सुधीर श्रीवास्तव)

प्रशासकीय अधिकारी

01c मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

प्रतिलिपि :-

पृ0क्र0 846 सा.प्र./328/प्रनिबो/2021

भोपाल, दिनांक

1. विशेषसहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ। 28 JUN 2021
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।

113

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 482/2021/32-3
प्रति,


भोपाल, दिनांक 24 जून, 2021

1/ कार्यपालन संचालक,
एफको, भोपाल
2/ सदस्य सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषय: माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक 8/6/21 को संपन्न
विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक
8/6/21 को संपन्न समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु
संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न: यथोपरि ।



(राकेश कुशारे)
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2021

क्रमांक 483/2021/32-3
प्रतिलिपि:

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग की ओर कार्यवाही विवरण
की एक प्रति संलग्न प्रेषित ।







उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

114

माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 08/06/2021 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण

::00::


माननीय पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08/06/2021 को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :-

1. श्री. मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग ।
2. श्री श्रीमन शुक्ला, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
3. श्री राकेश कुशरे, उप सचिव, पर्यावरण विभाग ।
4. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. श्री अनूप श्रीवास्तव, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
6. डॉ. अभय सक्सेना, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
7. श्री लोकेन्द्र ठक्कर, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।

कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान किए जा रहे कार्यों व प्रस्तावित योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया । समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

कार्यवाही - पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल

1. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिनांक 5 जून, 2021 को किया गया था, जिसमें अब तक 35000 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन किया जाकर 24000 प्रतिभागियों द्वारा वृक्षारोपण कर प्रथम फोटो अपलोड वायुदूत एप में किया गया । उक्त कार्यक्रम जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित किया जा रहा है । इस योजना हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मंदसौर क्षेत्र एवं सभी जिलों की सहभागिता बढ़ाई जाये । इस अंकुर योजना के प्रगति की नियमित जानकारी से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये ।
2. प्राथमिक रूप से मंदसौर स्थित ग्राम सुवासरा के ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जावे । एफको द्वारा सुवासरा विकासखण्ड के अंतर्गत 2 ग्राम रूनीजा एवं धलपट के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राक्कलित लागत क्रमशः रु. 149.82 लाख तथा रु. 103.72 लाख के तैयार कर जिला पंचायत मंदसौर को सौंपे गये । जिला पंचायत द्वारा उपरोक्त दोनों प्रतिवेदन स्वच्छ भारत मिशन में स्वीकृत हेतु भेजे गये ।
3. प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किये जाना हैं, इस संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव समाघात प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृतियों में वृक्षारोपण संबंधी शर्तें रखी जाती हैं । उन शर्तों के पालन की स्थिति की नियमित समीक्षा की जावे ।
4. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा संचालित जल संरचना संरक्षण योजना (रूपये 2.00 करोड़) में प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जावे । इस योजना के अंतर्गत यदि अतिरिक्त राशि की


राकेश कुशरे
उप सचिव
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय


185
आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव तैयार कर, अतिरिक्त राशि के प्रावधान हेतु राज्य शासन से अनुरोध किया जाये ।

5. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल द्वारा संचालित जल संरचना संरक्षण योजना में अभी तक किये कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये ।

कार्यवाही - मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

6. कोविड-19 महामारी के दौरान जनित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निष्पादन नियमानुसार प्रदेश में कार्यरत 13 जैव चिकित्सीय उपचार संयंत्रों द्वारा 2400 मेट्रिक टन जैव अपशिष्ट का निष्पादन किया गया है, तत्संबंध में अद्यतन स्थिति से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जावे।
7. नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना का कियान्वयन प्रमुख रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है । माननीय मंत्रीजी द्वारा निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं के तहत किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जावे एवं नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना में किस तरह के कार्य प्रस्तावित है तथा उन कार्यों हेतु कितनी राशि (कम्पौनेंटवाइज) प्रावधानित/स्वीकृत है, की जानकारी से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये । साथ ही इन कार्ययोजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं से भी अवगत कराया जाये ।
8. नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना में प्रस्तावित सभी कार्य निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जावे इस बावत् एक नोटशीट माननीय पर्यावरण मंत्रीजी की तरफ से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाये ।
9. बोर्ड के प्रयासों से जिन शहरों/औद्योगिक क्षेत्रों में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता उपकरण स्थापित किये गये हैं, उनकी सूची माननीय मंत्रीजी को उपलब्ध करायी जाये।
10. बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की शर्त निहित की जा रही हैं । भविष्य में उद्योग/संस्थान/खदानों जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाये । इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त की जावे ताकि प्रदेश में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य हो सके ।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के समाप्त हुई ।


(रakesh कुमार)
उप सचिव
पर्यावरण विभाग
भोपाल

मान्नीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 8/06/2021 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन

क्र०	निर्देश की विषयवस्तु	अनुपालन
6	कोविड-19 महामारी के दौरान जनित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निष्पादन नियमानुसार प्रदेश में कार्यरत 13 जैव चिकित्सीय उपचार संयंत्रों द्वारा 2400 मेट्रिक टन जैव अपशिष्ट का निष्पादन किया गया है, तत्संबंध में अद्यतन स्थिति से मान्नीय मंत्रीजी को अवगत कराया जावे।	प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दौरान दिनांक 25/03/2020 से 30/06/2021 तक कुल 3282 मीट्रिक टन कोविड-19 अपशिष्ट तथा 6121 मीट्रिक टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है, जिसका नियमानुसार निष्पादन प्रदेश में कार्यरत 13 समन्वित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.) के माध्यम से किया गया है। कोविड-19 तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान की माहवार जानकारी परिशिष्ट - अ अनुसार है।
7	नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रमुख रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। मान्नीय मंत्रीजी द्वारा निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं के तहत किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जावे एवं नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना में किस तरह के कार्य	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पर्यावरण विभाग तथा संबंधित स्टेक होल्डर्स की संयुक्त बैठक नॉन अटेनमेंट सिटीज स्तर पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु समय-समय पर आयोजित की जाती है। अपर प्रमुख सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में बैठक की तिथि एवं समय नियत किया जाना प्रस्तावित है।

	<p>प्रस्तावित हैं, तथा उन कार्यों हेतु कितनी राशि (कम्पोनेंटवाइज) प्रावधानित/स्वीकृत है, की जानकारी से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया जाये। साथ ही इन कार्ययोजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं से भी अवगत कराया जाये।</p>	<p>प्रस्तावित योजना संबंधी जानकारी परिशिष्ट - ब अनुसार है।</p>
8	<p>नॉन अटेनमेंट सिटीज की कार्ययोजना में प्रस्तावित सभी कार्य निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जावें इस बावत् एक नोटशीट माननीय पर्यावरण मंत्रीजी की तरफ से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाये ।</p>	<p>विभागीय मंत्री की ओर से माननीय नगरीय विकास एवं आवास विभाग को नोटशीट भेजे जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</p>
9	<p>बोर्ड के प्रयासों से जिन शहरों/औद्योगिक क्षेत्रों में सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता उपकरण स्थापित किये गये हैं, उनकी सूची माननीय मंत्रीजी को उपलब्ध करायी जाये।</p>	<p>जानकारी परिशिष्ट - स अनुसार है।</p>
10	<p>बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की शर्त निहित की जा रही हैं। भविष्य में उद्योग/संस्थान/खदानों जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त की जावे ताकि प्रदेश में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य हो सके।</p>	<p>बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक 880 दिनांक 01/07/2021 के माध्यम से समस्त यूनिट हैड एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उद्योग/संस्थान/ खदानों को जारी की जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करने की शर्त अनिवार्य रूप से निहित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जानकारी परिशिष्ट - द अनुसार है।</p>



परिशिष्ट - 3A
118

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

0755-2464428, 2466191 फ़ैक्स- 0755-2463742

E-mail: mppcbbmw@gmail.com

Quantity of Covid-19 waste & Bio Medical Waste

S. No	Duration	Covid-19 Waste (in kg)	BMW Waste (in kg)	Total Waste (in kg)
1.	25.03 - 31.03.2020	3404.44	5929.29	9333.73
2.	01.04- 30.04 .2020	78480.24	204183.56	282663.8
3.	01.05 - 31.05.2020	214935.51	267589.13	482524.64
4.	01.06 - 30.06.2020	168208.79	318788.56	486997.35
5.	01.07 - 31.07.2020	200564.00	369214.95	569778.95
6.	01.08 - 31.08.2020	266873.72	420770.52	687644.24
7.	01.09 -15.09.2020	346034.78	592602.56	938637.34
8.	01.10 -31.10.2020	308438.93	471075.87	779514.8
9.	01.11- 30.11.2020	208651.85	430704.75	639356.6
10	01.12 -31.12.2020	249516.78	420453.53	669970.31
11	01.01-31.01.2021	158940.7	424840.73	583781.43
12	01.02-28.02.2021	67156.02	403292.62	470448.64
13	01.03-31.03.2021	114628.97	500849.62	615478.59
14	01.04-30.04.2021	335151.34	478258.16	813409.5
15	01.05-31.05.2021	446424.96	357381.37	803806.33
16	01.06-30.06.2021	114725.553	455727.73	570453.283
Total		3282136.583	6121662.95	9403799.533

राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 681/2018 में पारित आदेश के अनुसार प्रदेश के 06 नॉन अटेनमेंट शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं देवास) को चिन्हित किया गया है। इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु बनाये गये एक्सन प्लान, जिसमें मुख्य रूप से निम्न कार्य किये जाने है :-

1. 15 वर्ष से पुराने डीजल चलित व्यवसायिक वाहन को प्रतिबंधित करना।
2. वाहनों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग।
3. वाहनों के उत्सर्जन की नियमित जाँच।
4. यातायात व्यवस्था बनाना।
5. डीजल चलित ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध।
6. मल्टीलेअर पाकिंग का निर्माण कराया जाना।
7. सड़कों की साफ-सफाई किया जाना।
8. रोड के सोल्डर्स एवं पेवमेन्ट का निर्माण करवाया जाना।
9. रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण।
10. चौराहों पर फव्वारों का निर्माण।
11. निर्माण कार्यो के स्थल एवं ट्रांसपोर्ट किये जाने वाले मटेरियल को कवर करना।
12. खुली भूमि पर कचरा जलाना प्रतिबंधित करना।
13. उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना।
14. जन-जागृति कार्यक्रम इत्यादि।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 681/2018 में पारित आदेश के अनुसार प्रदेश के 06 नॉन अटेनमेंट शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं देवास) शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु बनाये गये एक्सन प्लान का क्रियान्वयन संबंधित स्टेक होल्डर्स के माध्यम से कराया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कार्य किये जा रहे है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम

के तहत शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा कुल राशि रु. 22.12 करोड़ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में स्वीकृत की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	शहर	स्वीकृत राशि	कार्य किये जाने हेतु
1.	भोपाल	10 करोड़	सीएएक्यूएमएस 02 नग, पॉवर मशीन 03 नग, रोड स्वीपिंग मशीन, 03 नग, ग्रिनिग एवं पेविंग तथा जन-जागरण कार्यक्रम।
2.	ग्वालियर	10 करोड़	सीएएक्यूएमएस 02 नग, पॉवर मशीन 03 नग, रोड स्वीपिंग मशीन, 03 नग, ग्रिनिग एवं पेविंग तथा जन-जागरण कार्यक्रम।
3.	इंदौर	20 लाख	जन-जागरण एवं केपिसिटी बिल्डिंग
4.	उज्जैन	58 लाख	जन-जागरण एवं केपिसिटी बिल्डिंग
5.	देवास	48 लाख	जन-जागरण एवं केपिसिटी बिल्डिंग
6.	सागर	86 लाख	जन-जागरण एवं केपिसिटी बिल्डिंग

उपरोक्त राशि में से नगर निगम, भोपाल को 3.88 करोड़ तथा नगर निगम, ग्वालियर को 4.26 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में दी गई है। द्वितीय किस्त नगर निगम, भोपाल को 2.52 करोड़ तथा नगर निगम, ग्वालियर को 2.84 करोड़ दिया जाना प्रस्तावित है। शेष राशि जन-जागरण कार्यक्रम तथा सीएएक्यूएमएस बोर्ड द्वारा क्य किये जा रहे हैं।

125

CAAAQMS Installation in Cities across the State

S.No.	City	Location	District	Coordinate	Owner
1	Anuppur	Collectorate	Anuppur	23°08'17.9"N 81°41'56.6"E	M.B. Power (M.P.) Limited
2	Bhopal	T T Nagar	Bhopal	23°14'00.9"N 77°24'02.1"E	MPPCB
3	Damoh	Shrivastav Colony	Damoh	23°49'03.0"N 79°26'46.5"E	Diamond Cements, (Heidelberg Cement)
4	Dewas	Bhopal Chauraha	Dewas	22°58'05.7"N 76°03'50.8"E	MPPCB
5	Pithampur	Sector-2 Industrial Area	Dhar	22°37'29.1"N 75°40'30.9"E	MPPCB
6	Gwalior	City Center	Gwalior	26°12'12.4"N 78°11'35.7"E	MPPCB
7	Gwalior	Phool Bagh	Gwalior	26°12'37.9"N 78°10'15.6"E	Mondelez India Foods Pvt. Ltd.
8	Indore	Chhoti Gwaltoli	Indore	22°43'09.7"N 75°52'11.6"E	MPPCB
9	Jabalpur	Marhatal	Jabalpur	23°10'07.0"N 79°55'56.1"E	MPPCB
10	Katni	Gole Bazar	Katni	23°50'02.8"N 80°23'25.4"E	MPPCB
11	Katni	RO Office	Katni	23°48'22.4"N 80°22'20.3"E	ACC Limited
12	Neemuch	Civil Hospital	Neemuch	24°27'34.9"N 74°52'30.0"E	UltraTech Cement Limited (Unit : Vikram Cement Works)
13	Mandideep	Sector-D Industrial Area	Raisen	23°06'30.4"N 77°30'41.1"E	MPPCB
14	Ratlam	Shasthri Nagar	Ratlam	23°19'54.2"N 75°02'45.5"E	IPCA Laboratories Ltd.
15	Rewa	RO Office	Rewa	24°32'45.3"N 81°19'14.9"E	Jaypee Rewa Cement
16	Rewa	Collectorate	Rewa	24°32'18.8"N 81°17'22.3"E	Bela Cement Works
17	Sagar	Deen Dayal Nagar	Sagar	23°51'50.5"N 78°48'10.4"E	Bharat Oman Refineries Ltd.
18	Maihar	Sahilara	Satna	24°15'40.7"N 80°43'23.4"E	KJS Cement Ltd.
19	Satna	Bandhavgar Colony	Satna	24°35'03.6"N 80°51'17.8"E	Birla Corporation Ltd.
20	Singrauli	Surya Kiran Bhawan	Singrauli	24°06'32.3"N 82°38'44.1"E	MPPCB
21	Ujjain	Mahakaleshwar Temple	Ujjain	23°10'57.8"N 75°46'05.6"E	MPPCB

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

.0755द 2464428ए 2466191 थारु 80755द 2463742

क्रमांक 1071/स्थापना/प्रनिबो/2021
प्रति,


भोपाल, दिनांक 13 AUG 2021

1. श्री पी.के. त्रिवेदी,
डायरेक्टर पर्यावरण,
2. श्री हेमन्त कुमार शर्मा,
डायरेक्टर पर्यावरण,
3. श्री अभय सराफ,
अधीक्षण यंत्री,
4. श्री सुधीर श्रीवास्तव,
विधि अधिकारी,
5. डॉ. राजश्री शुक्ला,
वैज्ञानिक,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

विषय:- माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20/07/21 को सम्पन्न बैठक के निर्णयों पर कार्यवाही बाबत।

विषयान्तर्गत माननीय मंत्री, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20/07/2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। कृपया कार्यवाही विवरण के आपसे संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ.क्रमांक 1072/स्थापना/प्रनिबो/2021

भोपाल, दिनांक

13 AUG 2021

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, पर्यावरण विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 20/07/2021 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण

माननीय पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20/07/2021 को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :-

1. श्री श्रीमन शुक्ला, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
2. श्री राकेश कुशारे, उप सचिव, पर्यावरण विभाग ।
3. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
4. श्री अनूप श्रीवास्तव, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
5. डॉ. अभय सक्सेना, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
6. श्री लोकेन्द्र ठक्कर, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।
7. श्री मनोहर पाटिल, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल ।

सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान किए जा रहे कार्यों व प्रस्तावित योजनाओं के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया । समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिए गए :-

1. नॉन अटेनमेंट सिटीज (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर) की कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रमुख रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है । माननीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं के तहत अभी तक किए गए कार्यों, भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तथा बजट उपयोगिता संबंधी जानकारी का प्रस्तुतीकरण संबंधित नगरीय निकायों के कमिश्नरों द्वारा उनके समक्ष किया जाये ।

2. माननीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रस्तावित जन-जागरूकता अथवा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यशालाओं की जानकारी के कार्यालय को अवश्य दी जाये तथा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों की एक रिपोर्ट भी उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये ।

Shri
PKT
DE

Shri
PKT
SE

12/8/21
श्री राजेश
वर्मा
12/8/21

3. जिला स्तर पर कई स्वयंसेवी संगठन/संस्थान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्रांतर्गत ऐसे संगठन/संस्थानों की जानकारी एकत्रित करें तथा बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित किये जाने वाले जन-जागरूकता अथवा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों में इनको आमंत्रित कर उनके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों हेतु उन्हें सम्मानित करें।

SE

श्री लयाज

4. बोर्ड द्वारा की जा रही वायु गुणवत्ता मापन, जल गुणवत्ता मापन इत्यादि की मासिक जानकारी ए.क्यू.आई. तथा वर्गीकरण सहित माननीय मंत्री कार्यालय को प्रेषित करें।

श्रीमती

राजश्री शुक्ल

5. जिन-जिन स्थानीय निकायों द्वारा घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र का निर्माण कर लिया गया है या निर्माण कार्य प्रगति पर है, की सूची माननीय मंत्री कार्यालय को प्रेषित करें।

श्री हेमंत शर्मा

DE

6. विगत एक वर्ष में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों/संस्थानों/खदानों को बंद करने संबंधी नोटिस या उन पर न्यायालयीन कार्यवाही की गई है, उनकी सूची माननीय मंत्री कार्यालय को प्रेषित करें।

श्री पूजा शर्मा

EE

कार्यवाही - मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा

माननीय मंत्री जी द्वारा EPCO - पर्यावरण विभाग की समीक्षा दिनांक

20.07.2021

समीक्षा के दौरान विगत बैठक दिनांक 08.06.2021 की बैठक में दिये गये निर्देशों पर की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। माननीय मंत्री जी द्वारा संगठन से संबंधित निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1. राज्य शासन के विभिन्न विभागों की वास्तुविदीय सलाहकारिता का कार्य एफ्को के माध्यम से करवाये जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।
2. भारत सरकार में लंबित ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय मंत्री जी के स्तर पर सहयोग की आवश्यकता हो, के संबंध में टीप प्रस्तुत की जावे।
3. शिवना नदी, मंदसौर के संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुझाये गये बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।
4. विगत समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वृक्षारोपण हेतु नवीन मद एवं जल संरचना संरक्षण योजना की बजट राशि वृद्धि हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किये जावे।
5. 05 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का एक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।
6. जिला स्तर पर शहरी/ग्रामीण पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किये गये सरहानीय कार्यों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त कर पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाना।
7. विभाग द्वारा किये जाने वाले पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण/नवाचार के कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।